नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.3.2017 तक

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2017 तक निम्न अधिकारी नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के सचिव व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अनिल चौहान, सचिव, नगर पंचायत कोटखाई	1.4.15 से 11.6.15 तक
2	श्री देवेन्द्र मेहता, नायब तहसीलदार चौपाल	12.6.15 से 30.8.15 तक
3	श्री अनिल चौहान, सचिव नगर पंचायत कोटखाई	1.9.15 से 2.11.15 तक
4	श्री देवेन्द्र मेहता, नायब तहसीलदार चौपाल	3.11.15 से 30.11.15 तक
5	श्री मनमोहन जिस्टू, तहसीलदार	1.12.15 से 15.11.16 तक
6	श्री मस्त राम, नायब तहसीलदार	16.11.16 से 31.3.17 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2015 से 3/2017 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	नगर पंचायत की आय को बैंक खाते में जमा न करके सम्भावित दुर्विनियोजन	4 (ङ)	3.06
2	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	6 (क)	28.51
3	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	7 व 8	3.14
4	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	9	32.50
5	गृहकर में वृद्धि/संशोधन न करने के कारण राजस्व हानि	10	4.56
6	किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	11 (क)	20.05
7	बिजली उपकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	12	1.40
8	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	13	0.23
9	क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	17	0.59
10	गलत गणना के फलस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान	18	0.18
11	आयकर, बिक्रीकर व श्रम कर की राशि को सम्बन्धित विभागों में जमा करने सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	19	0.45

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः यह प्रकरण उच्चधिकारियों के ध्यान में लम्बित पैरों के निपटारे हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत चौपाल के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2017 तक का वर्तमान अंकेक्षण, श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक व श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.3.18 से 31.3.18 तक के दौरान किया गया। आय व व्यय का विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु क्रमशः माह 05/15 व 3/17 तथा 11/15 व 12/16 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा कोई गलत सूचना/सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत चौपाल के अवधि 04/2015 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹28800 आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 8 दिनांक 27.3.18 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर पंचायत चौपाल की अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिस का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (ख)** पर दिया गया हैः–

Year	Head of A/c	Opening balance (₹)	Receipts (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2015-16	Own Source	2420097.49	1092371	3512468.49	470313	3042155.49
	Grants	7479963	3473980	10953943	6538992	4414951
	Others	0	824280	824280	824280	0
	Total	**9900060.49**	**5390631**	**15290691.5**	**7833585**	**7457106.49**

Year	Head of A/c	Opening balance (₹)	Receipts (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2016-17	Own Source	3042155.49	1222124	4264279.49	405752	3858527.49
	Grants	4414951	5131793	9546744	6696018	2850726
	Others	0	0	0	0	0
	Total	**7457106.49**	**6353917**	**13811023.49**	**7101770**	**6709253.49**

(ख) Bank & FDR Balances as on 31.3.17

Sr.No.	Name of Bank	A/C No.	Nature of A/C	Amt. (₹)	
1	UCO Bank Chopal	3793	Saving	1295672.00	
2	UCO Bank Chopal	8360	Saving	747628.49	
3	UCO Bank Chopal	8060	Saving	1150922.00	
4	H.P. State Co.Bank	5738	Saving	225550.00	
5	H.P. State Co.Bank	7240	Saving	574472.00	
6	H.P. State Co.Bank	6771	Saving	63053.00	
7	H.P. State Co.Bank	7296	Saving	52116.00	
8	H.P. State Co.Bank	9712	Saving	89672.00	
9	H.P. State Co.Bank	9711	Saving	76058.00	
10	HDFC Bank Chopal	9258	Saving	1408976.00	
11	Co Bank FDR	79	FDR	1137789.00	
12	Treasury	8448	PLA	106.00	
	Total			6822014.42	
(i)	Closing Balance as per cash book as on 31.3.17				₹6040333.49
(ii)	Closing Balance as per financial position as on 31.3.17				₹6709253.49
(iii)	Difference in cash book balance and financial position balance as on 31.3.17				₹668920
(iv)	Differnce in closing balance of financial position and bank balances as on 31.3.17				₹112761.00

(ग) Cash book and Financial Position Balance Reconlilation Statement as on 31.3.17

Particulars	Amount (₹)
Balance as per cash book	6040333.49
Add:- No. 666080 celled but not Account for in cash book till 31.3.17	665200
Add:- Total of income tax less on 10.4.17 in cash book page	90
Less:- ₹5 lakh excess in total on 5.8.15 in cash book page 183	(-) 5

Add:- ₹1940 not taken in total of the cash book on 7.4.16 (cash book page 2)	1940	
Add:- ₹1695 not taken in total of the cash book on 14.3.16 (cash book page 199)	1695	
Add:- Total nett. Difference	(+) 668920	668920
Closing balance as per financial position as on 31.3.17		6709253.49

(घ) वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में उपरोक्त (ख) में विवरणानुसार शेष जमा राशि में ₹112761 (₹6709253.49–₹6822014) का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	राशि (₹)	
		वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष		₹6709253.49
1	31.3.15	दिनांक 31.3.13 को ₹99274 जो बैंक खातों में कम जमा थे जिसका दिनांक 31.3.15 तक समाधान नहीं किया गया था	(–) 99274	
2	1.4.13	रोकड़ बही पृष्ठ–73 पर ₹2205 जमा थे जबकि बैंक में ₹2055 जमा किए गए थे।	(–) 150	
3	16.4.13	रोकड़ बही पृष्ठ–81 पर ₹1060 जमा थे जबकि बैंक में ₹965 जमा किए गए थे।	(–) 95	
4	24.4.13	रोकड़ बही पृष्ठ–83 पर ₹4485 जमा थे जबकि बैंक में ₹4380 जमा किए गए थे।	(–) 105	
5	26.4.13	₹820 बैंक में जमा किए गए परन्तु रोकड़ बही में इसका लेखंकन नहीं किया गया।	(+) 820	
6	1.5.13	रोकड़ बही पृष्ठ 85 पर ₹3075 जमा थे जबकि बैंक में ₹2360 जमा किए गए थे।	(–) 715	
7	14.10.13	रोकड़ बही पृष्ठ–114 पर ₹5960 जमा थे जबकि बैंक में ₹5950 जमा किए गए थे।	(–) 10	
8	14.11.13	रोकड़ बही पृष्ठ–117 पर ₹24390 जमा थे जबकि बैंक में ₹24525 जमा किए गए थे।	(+) 135	
9	24.2.14	₹375 बैंक में जमा किए गए परन्तु रोकड़ बही में इसका लंखाकन नहीं किया गया।	(+) 375	
10	2.4.14	रोकड़ बही पृष्ठ–127 पर ₹3520 जमा थे जबकि बैंक में ₹3510 जमा किए गए थे।	(–) 10	
11	6.5.14	रोकड़ बही पृष्ठ–130 पर ₹2800 जमा थे जबकि बैंक में ₹2710 जमा किए गए थे।	(–) 90	

12	25.5.14	रोकड़ बही पृष्ठ–131 पर ₹4130 जमा थे जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था।	(–) 4130
13	25.5.14	रोकड़ बही पृष्ठ–131 पर ₹61000 जमा थे जबकि बैंक में ₹30000 जमा किए गए थे।	(–) 31000
14	27.7.14	रोकड़ बही पृष्ठ–140 पर ₹28630 जमा थे जबकि बैंक में ₹33220 जमा किए गए थे।	(+) 4590
15	12.11.14	रोकड़ बही पृष्ठ–147 पर ₹19852 जमा थे जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था।	(–) 19852
16	16.12.14	रोकड़ बही पृष्ठ–153 पर ₹21645 जमा थे जबकि बैंक में ₹17528 जमा किए गए थे।	(–) 4117
17	30.12.14	रोकड़ बही पृष्ठ–154 पर ₹11690 जमा थे जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था।	(–)11690
18	24.3.15	₹43630 बैंक में सीधे जमा किए गए परन्तु रोकड़ बही में इसका लेखांकन नहीं किया गया।	(+) 43630
19	31.3.15	रोकड़ बही पृष्ठ–160 पर ₹43220 जमा थी जिसमें से दिनांक 2.6.16 को ₹35000 यूको बैंक खाता संख्या 3793 में जमा किए गए तथा शेष ₹8220 बैंक में अभी तक जमा नहीं किए गए थे ।	(–) 8220
20	30.9.13	बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दिया गया जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+) 1079
21	31.3.14	बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दिया गया जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+) 1095
22	30.9.14	बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दिया गया जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+) 1123
23	4.2.13	रोकड़ बही पृष्ठ–65 पर चैक संख्या 340182 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुगनाया नहीं गया।	(+) 200
24	11.4.13	चैक संख्या 640187 ₹191875 का भुगतान करने हेतु जारी किया गया जिसे दिनांक 13.4.13 को बैंक से भुना लिया गया जबकि रोकडत्र बही में पृष्ठ–80 पर गलती से	(+) 2000

		₹193875 का लेखांकन किया गया। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹2000 (191875–193875) का अधिक लेखांकन किया गया।	
25	13.11.13	रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982459 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया।	(+) 751
26	13.11.13	रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982460 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया।	(+) 564
27	13.11.13	रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982464 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया।	(+) 564
28	13.11.13	रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982465 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया।	(+) 564
29	14.11.14	रोकड़ बही पृष्ठ–148 पर चैक संख्या 998005 का भुगतान करने हेतु जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹101279 का भुगतान किया गया जिसमें ₹17 (101262–101279) चैक शुल्क के रूप में काटे गए जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया।	(–) 17
30	26.1.14	बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट शुल्क की कटौती की गई जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया।	(–) 72
31	13.1.15	रोकड़ बही पृष्ठ–156 पर चैक संख्या 998035 ₹227500 का भुगतान करने हेतु जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹227530 का भुगतान किया गया जिसमें ₹30 (227500–227530) आर0टी0जी0एस0 शुल्क के रूप में काटे गए जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया।	(–) 30
32	12.1.15	रोकड़ बही पृष्ठ–155 पर चैक संख्याः 998029 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया।	(+) 2000
33	12.1.15	रोकड़ बही पृष्ठ–155 पर चैक संख्याः 998031 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक	(+) 2000

		भुनाया नहीं गया।		
34	4.2.15	रोकड़ बही पृष्ठ—157 पर चैक संख्याः 998045 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया।	(+) 1081	
35	परिशिष्ट—ख (1)	कैश बुक में दर्ज भुगतानों से अधिक राशि बैंक से चैक द्वारा निकासी/withdrawl किया जाना।	(—) 7434	
36	परिशिष्ट—ख (1)	कैश बुक में दर्ज भुगतानों से कम राशि का बैंक से चैक द्वारा आहरित किया जाना	(+) 200	
37	परिशिष्ट—ख (2)	चैक प्राप्त हुए परन्तु 31.3.17 तक भूनाए (encashed) नहीं किए गए।	(—) 7056	
38	परिशिष्ट—ख (2)	चैक जारी किए गए परन्तु 31.3.17 तक भुगतानों हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए।	(+) 113759	
39	परिशिष्ट—ख (3)	बैंक खातों में जमा राशि परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई।	(+) 2032	
40	परिशिष्ट—ख (4)	बैंक चार्जिज जिन्हें कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया।	(—) 313	
41	परिशिष्ट—ख (5)	बैंक से प्राप्त ब्याज जिसे कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया।	(+) 2000	
42	परिशिष्ट—ख (5)	कैश बुक में बैंक से प्राप्त ब्याज से अधिक ब्याज की राशि दर्ज करना	(—) 37	
43	परिशिष्ट—ख (6)	अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2017 के दौरान विभिन्न रसीदों से कैश बुकों में प्राप्त राशि जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया।	(—) 127123	
44	29.8.16	एफ0डी0आर0 से प्राप्त ब्याज की राशि जिसे कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया	(+) 253739	
		जमा कुल शुद्ध अन्तर	(+) 112761	112761.00
		दिनांक 31.3.17 को बैंक को में जमा राशि का अन्तिम शेष (उक्त (ख) में दिए विवरण अनुसार)		6822014.49

(ङ) अवधि 31.3.13 से 31.3.17 तक वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातो में पाए गए अन्तर का समाधान न करने के कारण बैंक में ₹3.06 लाख को कम जमा करके सम्भावित दुर्विनियोजन

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा अवधि 31.3.2013 से 31.3.17 तक ₹306521 बैंक में कम जमा की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

(i) दिनांक 31.3.13 तक बैंक में कम जमा ₹0.99 लाख की राशि को दिनांक 31.3.17 तक भी बैंक में जमा न करना:–

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/13 से 3/15 के पैरा संख्या 4 (घ) के अनुसार दिनांक 31.3.13 को बैंक खातों व वित्तीय स्थिति में ₹99274 का अन्तर था जोकि प्राप्त आय को बैंक में कम जमा करने के कारण था। लेखा परीक्षा द्वारा उक्त राशि को शीघ्र बैंक में जमा करने का अनुरोध किया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस राशि को आठ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बैंक में जमा नहीं करवाया गया जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण छानबीन करके तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त वर्णित ₹99274 को बैंक में जमा करके लेखों में अपेक्षित समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) दिनांक 31.3.15 तक बैंक में कम जमा ₹0.80 लाख को दिनांक 31.3.17 तक भी बैंक में जमा न करना:–

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/13 से 3/2015 के पैरा संख्या 4 (ङ) के अनुसार ₹115184 की आय को बैंक में कम जमा किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त राशि में से ₹35000 को दिनांक 2.6.16 को यूको बैंक, चौपाल के बचत खाता संख्या 3793 में जमा कर दिया गया है। अतः इस प्रकार दिनांक 31.3.17 तक शेष ₹80184 (₹115184–35000) (उक्त उप पैरा (ग) के क्रम संख्या 2 से 4, 6 व 7, 10 से 13, 15 से 17 तथा 19 में वर्णित विवरणानुसार) बैंक में जमा की जानी शेष थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः वर्णित शेष राशि को शीघ्र बैंक मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) आय की राशि ₹1.27 लाख को बैंक में जमा न करने कारण सम्भावित गबन/दुर्विनिनियोजन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 2.4 के अनुसार जिस दिन किसी विभाग/संस्था को आय प्राप्त होती है उसे उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में आवश्यक रूप से बैंक/कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा के दौरान नगर पंचायत, चौपाल के यूको बैंक खाता संख्या 3793 की जाँच करने पर पाया गया कि माह 4/15 से 3/17 तक **परिशिष्ट "ख–6"** में वर्णित विवरणानुसार ₹127123 की प्राप्त आय को बैंक में

जमा नहीं करवाया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 23.3.2017 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उनसे कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि का गबन हुआ है। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि वास्तविकता में राशि का गबन हुआ है तो राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके तुरन्त नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता को न दोहराया जा सके।

इसी प्रकार उक्त पैरा संख्याः 4 (घ) की क्रम संख्या 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 31.3.13 से 31.3.17 तक ₹306521 बैंक मे जमा न करके राशि का दुर्विनियोजन/गबन किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण द्वारा समय–समय पर वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करने हेतु नगर पंचायत से अनुरोध किया गया परन्तु इसके बावजूद न तो उक्त राशि की वसूली ही की गई और न ही प्राप्त आय की राशि को बैंक में कम जमा करने की प्रवृति पर रोक लगाने हेतु कोई ठोस कदम ही उठाए गए जैसा कि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों से भी स्पष्ट होता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/13 तक में यह ₹99274 थी व अवधि 4/13 से 3/15 के दौरान यह राशि ₹115124 व तथा अब वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 तक में यह राशि ₹127123 हो गई है। अर्थात बैंक में आय जमा न करने की राशि में निरन्तर बढ़ौतरी हो रही है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में वर्णित ₹306521 की तुरन्त वसूली के लिए प्रभावशाली कदम उठाने हेतु लाया जाता है ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(च) ₹0.62 लाख के कालातीत चैकों का समाधान न करना

नियमानुसार जारी किए गए चैकों को तीन मास के भीतर बैंक को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने होते है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹62602 के चैक बैंक से भुगतान हेतु जारी किए गए जिनको उक्त अवधि के भीतर दिनांक 31.3.17 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वर्णित चैक कालातीत हो चुके थे परन्तु इनका रोकड़ बही में Reverse प्रविष्टि करके प्राप्ति साईड दर्शाकर समाधान नहीं किया गया था। अतः इस बारे तथ्यों सहित वस्तु

स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त कालातीत हो चुके चैकों का रोकड़ बही में Reverse प्रविष्टि करके प्राप्ति साईड दर्शाकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	चैक सं0	दिनांक	राशि (₹)
1	65	640182	4.2.13	200
2	116	982459	13.11.13	751
3	116	982460	13.11.13	564
4	116	982464	13.11.13	564
5	116	982465	13.11.13	564
6	165	998117	4.4.15	400
7	166	998136	4.4.15	1433
8	171	994605	11.5.15	200
9	171	994613	11.5.15	28471
10	171	994615	11.5.16	10000
11	196	666100	29.1.16	5535
12	18	642507	28.10.16	2260
13	18	642510	29.10.16	8660
14	19	642611	2.11.16	3000
			योग	**62602**

5 सावधि निवेश

(क) नगर पंचायत चौपाल के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक में दिनांक 31.3.2017 को ₹1320087 सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

निवेश की तिथि	खाता सं0	बैंक का नाम	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि (₹)
29.8.16	40530300079	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	1137789	29.8.18	7.50%	1320087

उपरोक्त सावधि जमा राशि को परिपक्वता तिथि को भुनाना/निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है, जिसके अवलोकन पर विदित हुआ कि रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विाीिन्न बैंकों में रखे गए बचत खातों में ₹6822014 की बड़ी रकम शेष जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, पंचायत की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

सचिव नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 4/2015 से 3/2017 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) अनुदान की धनराशि ₹28.51 लाख 31.3.2017 को व्यय/उपयोग हेतु शेष

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को ₹2850726 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर और यदि आवश्यकता हो तो अनुदान राशि के सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर, उन्हीं उद्देंश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में

सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 श्री रजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में ₹3.04 लाख का अधिक भुगतान

सचिव नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय आदेश संख्या सचिव–एन0पी0–98–710 दिनांक 25.11.1998 द्वारा श्री राजिन्द्र सिंह झारटा की लिपिक के पद पर दिनांक 1.4.98 से ₹3120–5160 के वेतनमान पर नियुक्ति की गई थी। श्री राजिन्द्र सिंह झारटा का 1.1.2006 से संशोधित वेतनमानों ₹5910–20200+1950 ग्रेड पे में वेतन निर्धारित किया गया था लेकिन सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का कोई विवरण दर्ज नहीं दिया गया था तथा निजी नस्ति उपलब्ध नहीं करवाई गई। हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवाएं (सेशोधित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत श्री राजिन्द्र सिंह झारटा, लिपिक का वेतन 1.1.06 से पे बैंड ₹5910–20200+1900 ग्रेड पे में निर्धारित किया जाना चाहिए था किन्तु सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये निर्धारित वेतन, वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था में भिन्नता पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक / विवरण	1.1.06 को असंशोधित वेतनमान से मूल वेतन	1.1.06 को नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो निर्धारित होना चाहिए था (₹)	1.1.06 से सेवा पुस्तिका में दर्ज / निर्धारित संशोधित मूल वेतन (₹)	1.1.06 से वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन (₹)
1	1.1.06	4020	9380 (7480+1900 जी0पी0)	9880 (7930+1900 जी0पी0)	9380 (7480+1900)
2	1.4.06 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4140	9670 (7770+1900)	10180 (8230+1950)	9960
3	1.4.06 (आठ वर्ष के उपरान्त ए0सी0पी0एस0)	4260	10010 (8060+1950)	10180 (8540+1950)	9960
4	1.4.07 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4400	10310 (8360+1950)	10490 (8860+1950)	10260
5	1.4.08 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4550	10620 (8670+1950)	10810 (9190+1950)	10570
6	1.4.09 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	4700	10940 (8990+1950)	11140 (9530+1950)	10890 (1.10.09 =12350)
7	1.4.10 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	–	11270 (9320+1950)	11480 (9880+1950)	12720

8	1.4.11 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11610 (9660+1950)	11830 (10240+1950)	13110
9	1.4.12 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	11960 (10010+1950)	12190 (10240+1950)	13110 (1.8.12= ₹13510, 1.10.12= 15210)
10	1.10.12 (संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने पर)	—	13500 (10300+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	15210 =(11610+3600)
11	1.10.13 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	13910 (10710+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	15670 (12070+3600)
12	1.10.14 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	14330 (11130+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16140 (12540+3600)
13	1.4.2015	—	14330 (11130+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16630 (13030+3600)
14	1.10.15 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	14760 (11560+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	16630 (13030+3600)
15	1.4.2016	—	14760 (11560+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17130 (13530+3600)
16	1.10.16 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	—	15210 (12010+3200)	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी	17130 (13530+3600)

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन से कम व ज्यादा वेतन, वेतन बिलों के अनुसार अनियमित रूप से आहरित किया गया तथा दिनांक 1.10.09, 1.8.12, 1.10.12, 1.10.13, 1.10.14, 1.4.15, 1.4.16 व 1.10.16 को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/कार्यालय आदेश व औचित्य के वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 में भी आपत्ति उठाई गई थी। इसके बावजूद भी नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। उक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप उक्त लिपिक को अवधि 1.10.09 से 31.3.15 तक ₹304153 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है। इस बारे में अधियाचना संख्या 7 दिनाँक 26.3.18 द्वारा नगर पंचायत से तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर नगर पंचायत से प्राप्त नहीं

हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण छानबीन उपरान्त औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार वेतन निर्धारित करके वेतन व भत्तों के पाए गए अधिक भुगतान की सम्बन्धित से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 कर्मचारियों को गलत दर से वेतन/भत्तों का भुगतान करने के कारण ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान

(क) श्री गोपी चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता

सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री गोपी चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता का दिनांक 1.7.14 को पे बैंड ₹10300–34800+3800 जीपी में वेतन ₹14230+4800 जीपी निर्धारित था। किन्तु पुस्तिका में दर्शाये गये निर्धारित वेतन, वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था, में भिन्नता पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक/विवरण	सेवा पुस्तिका में दर्ज/निर्धारित मूल वेतन (₹)	नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो बनता था	वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन
1	1.7.15	14810+4600 जीपी	14810+4800 जीपी	14810+4800 जीपी
2	1.7.16 (वार्षिक वेतन वृद्धि)	15400+4800 जीपी	15390+4800 जीपी	14810+4800

उपरोक्त विवरणानुसार सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन से कम व ज्यादा वेतन, वेतन बिलों के अनुसार अनियमित रूप से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कार्यालय आदेश व औचित्य के आहरित किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप उक्त कनिष्ठ अभियन्ता का अवधि 1.7.15 से 31.3.17 तक ₹9604 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस बारे में अधियाचना संख्या 7 दिनांक 26.3.18 द्वारा नगर पंचायत से तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर नगर पंचायत से प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण छानबीन उपरान्त औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार वेतन निर्धारण करके वेतन व भत्तों के पाए गए अधिक भुगतान ₹9604 की सम्बन्धित से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

अवधि	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
1.7.2015 से 31.12.15	14800+4800GP	14810+4800GP	10+12DA(119%)=22	22x6=132
1.1.16 से 30.6.16	14800+4800GP	14810+4800GP	10+12DA(119%)=22	22x6=132
1.7.16 से 31.7.16	15390+4800GP	14810+4800GP	580+736DA(127%)	1316x1=1316(-)
1.8.16 से 31.12.16	15390+4800GP	15990+4800	600+714DA(119% paid)=1314	1314x5=6570
1.1.17 से 30.3.17	15390+4800GP	15990+4800	600+762DA(127% paid)	1362x3=4086
			कुल जोड़	**9604**

(ख) श्रीमती सुधा देवी, सफाई कर्मचारी

श्रीमती सुधा देवी का पे बैंड 4900–10680+जी0पी0 1650 में दिनांक 01.07.2014 को वेतन ₹6370+1650 जीपी=₹8020 था। दिनांक 1.7.2015 के उपरान्त सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये निर्धारित वेतन व वास्तव में आहरित वेतन में भिन्नता पाए जाने के कारण उनको निम्नविवरणानुसार ₹465 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

अवधि	आहरित वेतन As per pay bill (प्रतिमाह ₹ में)	देय वतन As per service book (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
1.7.2015 से 31.12.2015	6620+1650GP=8270	6610+1650GP=8260	10+12DA(119%)=22	22x6=132
1.1.2016 से 30.6.2016	6620+1650P=8270	6610+1650GP=8260	10+12DA(119% paid)=22	22x6=132
1.7.2016 से 31.12.2016	6870+1650GP=8520	6860+1650GP=8510	10+12DA(119%)=22	22x6=132

1.1.2017 से 31.3.2017	6870+1650GP=8520	6860+1650GP=8510	10+13 DA(127%)=23	23x3=69
			कुल जोड़	**465**

9 गृहकर की बकाया ₹32.50 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार गृहकर की बकाया राशि ₹3249990 दिनांक 31.3.2017 को वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः निम्न वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**वर्ष के दौरान मांग (₹)**	**कुल (₹)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)**	**अन्तशेष (₹)**
1	2015—16	2820100	325054	3145154	79658	3065496
2	2016—17	3065496	358782	3424278	177288	3249990

10 गृहकर की दर से नियमानुसार वृद्धि/संशोधन न करने के कारण ₹4.56 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याःयू0डी0—एच(सी)(10)(7) दिनांक 17.11.2013 द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को सूचित किया गया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफाारिशों क अनुरूप उनको प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में सौ प्रतिशत की बढ़ौतरी हेतु गृहकर की न्यूनतम दर 7.5% में प्रतिवर्ष प्रतिशतता के आधार पर वृद्धि करके वर्ष 2006—07 तक अधिकतम दर 12.5% की जाएगी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैः—

वर्ष	**गृहकर की दर**
2002—03	7.5%
2003—04	8.55%
2004—05	10%
2005—06	11.5%
2006—07 से 2016—17 तक	12.5%

परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा वर्ष 2001 से गृहकर की न्यूनतम दर 7.5% को ही लागू किया गया था तथा इसके प्श्चात गृहकर मे उक्त वर्णित नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता एवं सरकार के आदेशों की अवहेलना है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर

पंचायत कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप नगर पंचायत चौपाल को अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक निम्नविवरणानुसार ₹455891 की आर्थिक हानि हुई जिससे स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत गृहकर में नियमानुसार वृद्धि करने हेतु गम्भीर नहीं है। अतः सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गृहकर में अपेक्षित वृद्धि न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गृहकर में गत वर्षों में नियमानुसार अपेक्षित वृद्धि करके सम्बन्धित से इसकी वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	7.5 प्रतिशत की दर से किया गया गृह कर का निर्धारण (₹)	12.5 प्रतिशत की दर से गृहकर का जो निर्धारण किया जाना अपेक्षित था (₹)	कम निर्धारण (₹)
1	2015—16	325054	541757	216703
2	2016—17	358782	597970	239188
			योग	**₹455891**

11 **(क) दिनांक 31.3.17 तक दुकानों/स्टालों की देय किराया ₹20.05 लाख वसूली हेतु शेष**

दुकानदारों/स्टाल धारकों से दिनांक 31.3.17 तक देय किराया ₹2004517 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है:—

क्र0सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	अन्तशेष (₹)
1	2015—16	1837924	225337	2063261	159712	1903549
2	2016—17	1903549	234205	2137754	133237	2004517
			459542		**292949**	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015—16 से 2016—17 तक दो वर्षों में कुल ₹2297466 (1837924+459542) की माँग के विरूद्ध केवल ₹292949 की वसूली की गई जो कि 12.75 प्रतिशत है। इस प्रकार वसूली की दर बहुत ही निम्न थी जोकि नगर पंचायत की कमजोर वित्तीय स्थिति का एक मुख्य कारण है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे कोई भी ठोस

कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः उक्त बकाया किराया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली उपकर की बकाया ₹1.40 लाख की वसूली न करना

म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के नियम 66 (1) (viii) के अनुसार म्युनिसिपल परिधि में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली उपकर म्यूनिसिपल कमेटियों को बिजली बोर्ड से प्राप्त होना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.15 तक बिजली बोर्ड से निम्नविवरणानुसार ₹140450 के बिजली उपकर की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया हैः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	अन्तशेष (₹)
1	2015–16	120748.60	9432.3	130180.9	0	130180.9
2	2016–17	130180.9	10269.3	140450.2	0	140450.2

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 तक बिजली उपकर की कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु मामला बिजली विभाग के साथ गम्भीरता से उठाया जाए ताकि नगर पंचायत को उपरोक्त मूल राशि के साथ–साथ ब्याज की हो रही निरन्तर हानि से बचा जा सके तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 मोबाईल टावर शुल्क की बकाया ₹0.23लाख की वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31. 3.2017 को मोबाईल टावर शुल्क की बकाया ₹22500 वसूली हेतु शेष था, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 वितीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान प्राप्त मदिरा शुल्क ₹3.86 लाख से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/विवरण प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "झ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये प्रति बोतल की दर से नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक ₹386492 की आय प्राप्त हुई थी परन्तु नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 बिजली/पानी के अनापति प्रमाण पत्र शुल्क ₹700 की वसूली न करना

बिजली/पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया कि निम्नलिखित भवन मालिकों से बिजली/पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर ₹700 की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित भवन मालिकों से अविलम्ब करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाय जाए।

क्र0सं0	भवन मालिक का नाम व पता	अनापत्ति प्रमाण पत्र का उद्देश्य	अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क	अनापत्ति प्रमाण पत्र रजिस्टर का पृ0सं0
1	Asha devi W/O late Surinder Singh ward No.-3	Water Connection	100	33
2	Kamla Devi chauhan ward No.-2	Electercity Connection	100	34
3	Parmila devi W/O Shyam Singh Ward No.-7	Electercity Connection	100	34
4	Gopi Singh S/O Mast Ram Ward No.-7	Electercity Connection	100	34
5	Gulab Singh S/O Balak Ram Ward No.-3	Electercity Connection	100	35

6	Govind Singh S/O Rela Ram ward No.-1	Electercity Connection	100	36
7	Suresh Kumar S/O Daulat Ram ward No.-5	Water Connection	100	37
		Total	**700**	

16 बिजली के बिलों को देरी से जमा करवाने के फलस्वरूप ₹887के शुल्क का अनियमित भुगतान

माह 4/15, 5/15 व 5/16 के व्यय वाउचरों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बिजली के विभिन्न बिलों का भुगतान देय तिथि के उपरान्त करने के कारण नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹626 के शुल्क का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि बिलों को समय पर जमा करवाना कार्यालय का दायित्व है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹887 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्र0सं0	वा0सं0 व माह	बिल सं0	देय तिथि को देय राशि (₹)	राशि जिसका भुगतान देय तिथि के उपरान्त किया गया (₹)	शुल्क के भुगतान की राशि (₹)
1	2 माह 4/15	1315147	706	719	13
2	2 माह 4/15	1315349	13003	13228	(+) 225
3	2 माह 4/15	1315138	867	883	16
4	2 माह 4/15	1315146	277	282	5
5	3 माह 5/15	1629321	26366	26855	(+) 489
6	3 माह 5/15	1440339	706	719	13
7	3 माह 5/15	1440347	440	448	8
8	3 माह 5/15	1440348	706	719	13
9	4 माह 5/16	1692308	999	1017	18
10	4 माह 5/16	1692307	303	308	5
11	4 माह 5/16	1692299	4457	4539	82
					887

17 क्रय की गई ₹0.59 लाख की वस्तुओं का भण्डार रजिस्टर में गणना/इन्द्राज न किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार खरीद की गई सभी वस्तुओं/भण्डार की गणना, परीक्षण, माप व तोल तथा भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज करना अति आवश्यक है। अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार वस्तुओं की खरीद से सम्बन्धित बिलों व भण्डार रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹58580 की भण्डार रजिस्टर में गणना/ईन्द्राज नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। तथा इस अनियमितता के कारण वर्णित वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 26.3.2018 द्वारा सचिव नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता की नगर पंचायत अपने स्तर पर पूर्ण छानबीन करके उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Sr.No.	Vr.No./ Date	Name of Supplier & Bill no. & date	Name of Item	Quantity	Rate (₹)	Amount (₹)
1	3 of 4/15	M/S Negi cloth House Chopal	Towel	2	300	600
2	5 of 4/15	M/S R, K Electronics Chopal	CFL (65 wt)	3	750	2250
			CFL (35 wt)	6	385	2310
			Holder	1	45	45
3	3 of 5/16	M/S Aukta Hardware Store Chopal	Bucket	2	250	500
			Bucket	1	150	150
4	11 of 11/16	M/S Balbir Hardware Store Chopal	Red oxide Primer	22 Lt.	135	2970
			Black paint	43 Ltr.	200	8600
			T.P. Oil	30 Ltr.	70	2100
5	4 of 2/17	M/S Thakur Electrical & EIecronics Chopal	Heater Piller	2	2600	5200
			External Board	2	430	860

			Welding rods	12	160	1920
			SDS	400	3.50	1400
			Cutting Wheel 4”	15	20	300
			SDS 21/2	1000	4.50	4500
			Cutting Sheet	1	950	950
			Tube ficture	5	170	850
6	16 of 2/17	M/S Shiv Shakti Photostate Chopal	5	Register	30	150
7	4 of 3/17	M/S Balbir Hardware Store Chopal	2 Bandal	Bambo Broom	4500	9000
8	11 of 12/16	M/S Ram Gopal Welding Works Chopal	125 Kg Railing Zali	125 Kg	85	10625
			44 Kg Pilor	44 Kg	75	3300
					Total	**58580**

(क) उपरोक्त क्रम संख्या 2, 4 व 5 पर क्रय की गई वस्तुओं के क्रय करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताऐं भी पूर्ण नहीं की गई थी जबकि वर्णित नियमानुसार ₹3000 से अधिक के सामान की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा या निविदाऐं आमन्त्रित करके क्रय समिति की संस्तुति से की जानी अपेक्षित थी परन्तु उक्त प्रकरणों में सामान क्रय करने से पूर्व उपरोक्त कोई भी औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 26.3.18 द्वारा नगर पंचायत को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर पंचायत से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त वर्णित अनियमित व्यय बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त वर्णित अनियमित व्यय बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 संविदाकार को निर्माण कार्य बिलों में ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्य बिलों में गलत गणना व गलत दरों से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार ₹18200 का अधिक भुगतान किया गया था:–

(क) ठेकेदार से निर्माण कार्य हेतु जारी ₹0.10 लाख मूल्य के सीमेंट की कम वसूली करना

Name of Work:-	C/O retaining wall near public Toilet in ward No. 4 in Nagar Panchayat
RD No.	0/210 to 0/225
Name of Contractor	Shri Partap Singh
Award Amt.	190833
Vr.No.	2 (1) of 11/2015

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल द्वारा किए गए उपरोक्त राशि के भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि कार्य की मद संख्याः 1 "P/L cement concrete 1:4:8 with 15% plum and curing completem 42.84 cubic mtr" के निष्पादन हेतु श्री प्रताप सिंह, ठेकेदार को 145 सीमेट बैग जारी किए गए थे (स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–19) जिसके लिए @ 275 प्रति बैग की दर से उनसे ₹39875 की वसूली की जानी अपेक्षित थी जबकि उन से केवल ₹29875 की ही वसूली की गई थी जोकि ₹10000 कम थी। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 3 दिनांक 24.3.18 द्वारा नगर पंचायत से उक्त राशि की वसूली करने हेतु अनुरोध किया गय था जिसके प्रत्युत्तर में मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त राशि की वसूली शीघ्र करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा कर दी जाएगी। अतः उक्त राशि की वसूली करके नगर पंचायत निधि में शीघ्र जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ठेकेदार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

Name of Work	C/O Public Toilet at bus stand Chopal, Ward No. 3
Name of Contractor	Sh.Kuldeep Aucta
M.B. No.	0007 Page 57-58
Vr.No.	12 of 12/16

उपरोक्त कार्य के दूसरे व अन्तिम चलत बिल में निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹2360 का

अधिक भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 24.3.18 द्वारा नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक पंचायत से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹2360 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

वा0सं0 / दि0	एमबी सं0 / पेज सं0	कार्य मद सं0 / नाम	वास्तविक गणना के अनुसार कार्य मात्रा	एमबी में दर्ज भुगतान की कार्य मात्रा	अन्तर	दर प्रति घन मीटर (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
12 / 16	0007 / 57—58	"Providing and fixing shutter for door & windows with 1st class deodar wood with 40 mm thick"	8.04 cum	8.63 cum	0.59 cum	4000	2360

(ग) गलत गणना के कारण ₹190 का संविदाकार को अधिक भुगतान

Name of Work Fencing of Tehsil Ground with M.S. Angle & G.I. crate wire
Name of Contractor Shri Surinder Singh
Award Letter No. No. 166/2015 Dt. 2.7.2015
M.B. No. 0006
Vr.No. 2 (11) Month 1/2015

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल द्वारा किए गए भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 1 "Earth work in excavation in structure as per drawing and technical specification clause 305" की निष्पादित कार्य मात्रा 28.83 घन मीटर का भुगतान ठेकेदार को मापन पुस्तिका पृष्ठ—50 पर ₹190 प्रति घन मीटर की दर से किया गया था जबकि वास्तविक गणना के अनुसार निष्पादित कार्य प्रमात्रा 27.83 घन मीटर (1x53x0.70x0.75=27.83 cum) ही बनती थी। इस सम्बन्ध में अधियाचना संख्या 5 दिनांक 24.3.2018 द्वारा नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक पंचायत से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार 1.00 घन मीटर (28. 83—27.83 cum) कार्य प्रमात्रा का ₹190 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹190 (1.00 cum x190) का अधिक भुगतान किया गया जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए

अन्यथा वाँछित राशि वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) गलत दरों से भुगतान करने के कारण ठेकेदार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना

Name of work:- C/O Main Gate in Tehsil Ground Chopal

Name of Contractor Shri Amar Prem

Award Amt. 199972

उपरोक्त कार्य के दूसरे व अन्तिम चलत बिल में निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध की अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹5730 का अधिक भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 4 दिनांक 24.3.18 द्वारा नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक पुंचायत से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹5730 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वा0सं0 व दि0	एमबी सं0/पेज	कार्य मद सं0 व नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अनुबन्धित दर (₹)	भुगतान दर (₹)	भुगतान दर मे अन्तर (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
3 of 12/16	0007/54	4 "P/L cement concrete 1:2:4 with water proofing treatment and curing complete excluding cost of from work……as per direction of engineer-in-charge	5.73 cum	4500 per cum	5500 per cum	1000 per cum	5730

19 ठेकेदारों के निर्माण कार्य बिलों से आयकर, बिक्री कर व श्रमकर की वसूली गई ₹0.45 लाख को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्ततु न करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ञ"** द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार विभिन्न ठेकेदारो के निर्माण/मुरम्मत कार्य बिलों से आयकर, बिक्रीकर व श्रमकर के रूप में क्रमशः ₹17477, ₹20088 व ₹7667=कुल ₹45242 की वसूली की गई ाी लेकिन

इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप वर्णित राशि की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः उक्त राशि के सरकारी कोष में जमा करवाने के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 01.04.15 से 31.3.17 में विभिन्न ठेकेदारों के निर्माण/मुरम्मत बिलों से आयकर, बिक्रीकर व श्रमकर के रूप में वसूली गई राशि की सूची तैयार की जाए तथा इस राशि को सम्बन्धित विभागों मे जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 विविध

(क) दुकान का किराए ₹24 की कम वसूली करना

दुकान किराया मांग व संग्रह रजिस्टर के पृष्ठ 63 अनुसार श्री नवीन किमटा का किराया ₹715 प्रति माह था तथा माह 10/2016 में 5 वर्ष उपरान्त उक्त किराए में 10 प्रतिशत बढ़ौतरी करने के कारण दुकान का किराया ₹787 प्रति माह निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जबकि किराया ₹783 ही निर्धारित किया गया। इस प्रकार किराया ₹4 प्रति माह की दर से किराया कम निर्धारित किए जाने के कारण अवधि 1.10.2016 से 31.3.2017 तक ₹24 (4X6 माह) के किराए की कम वसूली की गई जिसे शीघ्र वसूल करके नगर पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) स्टोर/स्टॉक का नियमित भौहतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभरी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापना करेगें तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेगें और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगें अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भवना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करना

रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि अवधि 4/15 से 3/17 की रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है और न ही प्रत्येक माह के अन्त में बैंक से रोकड़ बही का मिलान नहीं किया जा रहा था जोकि उचित नहीं है। अतः रोकड़ बही का हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19 (2) के अनुसार रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया तथा लघु आपत्तियों का स्थल पर निपटारा कर दिया गया था।

22 **निष्कर्ष :–** लेखाओं व कैश बुक के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के समाधान हेतु भी अपेक्षित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।

हस्ता /–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 –0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच (2)सी 15(V) 81/85 खण्ड–3–6178–6179
दिनांक,–17.09.18 शिमला–09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृत :– 1. सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

फोन नं0 —0177—2620881

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1990

(1)	पैरा 6	अंशतःनिर्णीत
(2)	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 9(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 13	अनिर्णीत
(5)	पैरा 14	अनिर्णीत
(6)	पैरा 15(i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 15(बी)(सी)(डी)(ई)	अनिर्णीत
(8)	पैरा 16	अनिर्णीत
(9)	पैरा 17(i)(ii)(iii)(iv)(vi)(vii)(viii)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994

(1)	पैरा 11 (3) (4) (11) (12)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/2004

(1)	पैरा 5 (क)(ख)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 7 (च, ज)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 8 (ग, ङ, च, छ)	अनिर्णीत
(4)	पैरा 8 (ऋ, प)	अनिर्णीत
(5)	पैरा 9	अनिर्णीत
(6)	पैरा 10(क)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
(7)	पैरा 10 (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (प) (फ)	अनिर्णीत
(8)	पैरा 13	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2008

(1)	पैरा 5 (vi) (viii)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 6(i)(iii)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 3/2010

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 16	अनिर्णीत
4	पैरा 20	अनिर्णीत
5	पैरा 22	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2013

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 20	अनिर्णीत
8	पैरा 21	अनिर्णीत
9	पैरा 22	अनिर्णीत
10	पैरा 23	अनिर्णीत
11	पैरा 24	अनिर्णीत
12	पैरा 26	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 28(क, ख, ग)	अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2015</u>

1	पैरा 3	निर्णीत	(अवधि 4/13 से 3/15 का अंकेक्षण शुल्क ₹21000 चैक संख्या 128036 दिनाँक 19.5.15 द्वारा जमा करवा दिया है)
2	पैरा 4 (क, ख, ग, घ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4 (ङ)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित इस पैरे में ₹115184 की आय को बैंक में कम जमा किया गया था वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त राशि में से ₹35000 को दिनांक 2.6.16 को यूकोबैंक, चौपाल के बचत खाता संख्या 3793 में जमा किया गया इस प्रकार दिनांक 31.3.17 तक ₹115184–35000=₹80184 बैंक में जमा की जानी शेष थी)
4	पैरा 4 (च, छ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 6 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा 7	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा 9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 10 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
11	पैरा 10 (ख) (ग)	अनिर्णीत	

12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12	अनिर्णीत	
14	पैरा 13	अनिर्णीत	
15	पैरा 14	अनिर्णीत	
16	पैरा 15 (क) (ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 16	अनिर्णीत	
18	पैरा 17	अनिर्णीत	
19	पैरा 18	अनिर्णीत	
20	पैरा 19	अनिर्णीत	
21	पैरा 20	अनिर्णीत	
22	पैरा 21 (क) से (घ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 22	अनिर्णीत	
24	पैरा 23 (क) व (ख)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 1.4.15 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	63
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	18
(−) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	9
31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	72